संख्या-14/2024/ 548 /58-1-2024-54-2002(003)/2/2021पार्ट (1)

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊः दिनांक 22 मार्च, 2024**

विषयः प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के चतुर्थ त्रैमास हेतु फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित व्यय के अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बंध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1029/बा0वि0परि0/पो0एवं स्वा0/2023-24, दिनांक 29.02.2024 एवं निदेशालय पत्र संख्या-968/बा0वि0परि0/पो0एवं स्वा0/2023-24, दिनांक 13.02.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 के चतुर्थ त्रैमास हेतु फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु रु0 14,64,24,363.00 (रू0 चौदह करोड़ चौसठ लाख चौबीस हजार तीन सौ तिरसठ मात्र) के अग्रिम की स्वीकृति एवं उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 खाते में उपलब्ध/स्थानान्तरित धनराशि से खाद्य एवं रसद विभाग को किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) निदेशक, आईसीडीएस द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन किया जायेगा।

(2) प्रकरण में GFR 2017 व समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

(3) सुसंगत लेखाशीर्षक में बजट की उपलब्धता का दायित्व निदेशक का होगा।

(4) केन्द्रांश की स्थिति में योजना हेतु भारत सरकार की गाइडलाइंस का विवरण व उसके अनुपालन की स्थिति गाइडलाइन के अनुसार होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) वित्त(लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-17/2017/ए-1-1027-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक 25.10.1983, 10.06.2011 तथा 18.09.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की गयी समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2024 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

(10) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया गया।

(11) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(13) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा स्वीकृत धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये स्थानान्तरित की जाएगी।

(14) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

(15) किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(16) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय लोकहित में है और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार एवं अपर निदेशक (वित्त) का होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(17) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(18) इस सम्बंध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19) निदेशक, आईसीडीएस द्वारा धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित व्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(20) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो इसके लिये भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार होगा।

(21) प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(22) आहरित धनराशि का समायोजन उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरन्त बाद के माह में अवश्य कर लिया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(23) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा ।

(24) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 (यथासंशोधित) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा ।

(25) विभागाध्यक्ष/निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का यह दायित्व होगा कि वह समायोजन नियमानुसार प्रस्तुत करेंगे तथा प्रशासकीय व वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0125-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के0-50/रा0-50-के+रा0) एवं 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8925-पुष्टाहार कार्यक्रम के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा तथा उक्त अग्रिम का भुगतान योजनान्तर्गत खोले गये एस0एन0ए0 खाते में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-E-4-313-X-2023-24, दिनांक 21.03.2024 द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव ।

संख्या-14/2024/ 548(1)/58-1-2024, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1 ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-1 ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
7. खाद्य एवं रसद अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।